

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या-1/प्रशि० नियुक्ति 06/15 श्र०सं०...../बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 120, दिनांक 25.3.15 द्वारा उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित कुल 15 (पन्द्रह) अभ्यर्थियों को विभागीय पत्रांक 973, दिनांक 01.4.15 द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु दिनांक 16.4.15 को विभाग में उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। श्री रवि शंकर कुमार को विभागीय अधिसूचना सं० 51, दिनांक 30.6.15 द्वारा उप प्राचार्य के पद पर नियुक्त करते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौड़ा, सारण में पदस्थापित किया गया। इन्होंने प्रभार ग्रहण करने हेतु तीन माह तक विस्तार देने का अनुरोध किया। विभागीय पत्रांक 2406, दिनांक 26.8.15 द्वारा इसकी स्वीकृति दी गयी। इसके बाद भी प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में इन्हें अन्तिम रूप से विभागीय पत्रांक 11, दिनांक 04.01.16 द्वारा 15 दिन का समय दिया गया, फिर भी श्री रवि शंकर कुमार ने प्रभार ग्रहण नहीं किया है। इसी तरह एक अन्य अभ्यर्थी श्री आलोक कुमार निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए। इनका चयन पूर्व में ही प्राचार्य के पद पर हो चुका था, इसी कारण ये उपस्थित नहीं हुए।

2. अतएव एतद् द्वारा निम्नांकित दोनों अभ्यर्थियों की उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर उम्मीदवारी/नियुक्ति को रद्द किया जाता है :-

| क्र० | अभ्यर्थी का नाम एवं पता | अनुक्रमांक | मेघा क्रमांक | आरक्षण कोटि |
|------|---|------------|--------------|-------------|
| 1 | श्री रवि शंकर कुमार सुपुत्र- श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा ग्राम+पो०- जैतपुर, भाया-देवहारा जिला- औरंगाबाद-824114 | 141087 | 02 | 01 |
| 2 | श्री आलोक कुमार क्वार्टर नं०- 11 सी, स्ट्रीट-30 सेक्टर-8, भिलाई जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़-490009 | 140327 | 011 | 05 |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विजय कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/प्रशि० नियुक्ति 06/15 श्र०सं० 242...../ पटना, दिनांक- 26/2/2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सम्बन्धित अभ्यर्थी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

26/2/16